




FORM NO. III

2022/113

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बडीसादडी जि. चित्तौड़गढ़  
केलाशी बनाम पुरुवारा  
किस्म मुकद्दमा नं. 128 सन् 67/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्स जस	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/5/22	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>लोपतपुरा</u>..... की ग्राम..... की आ.न.....<u>३३७/११ लकड़ा 1/1600</u>..... की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये <u>2000/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।</p> <p>पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p></p> <p>उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	

